राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या-2390/2010

अनु गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य

दिनांक-31.01.2011

माननीय न्यायाधिपति श्री एस एस कोठारी

श्री जितेन्द्र सिंह, अधिवक्ता- प्रार्थिया की ओर से
श्री संजीव कुमार महला, विद्वान् लोक अभियाजक वास्ते राज्य
श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता- परिवादी की ओर से

--

प्रार्थिया अनु गुप्ता की ओर से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत दाण्डिक विविध याचिका विचारण न्यायाल- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-10, जयपुर शहर, जयपुर के आदेश दिनांक 06.10.2010 एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश(फास्ट ट्रेक) क्रम-8, जयपुर नगर के आदेश दिनांक 15.11.2010 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।

इस पर दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण को सुनकर व अभिलेख पर उपलब्ध विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं एवं उपलब्ध अन्य सामग्री के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वर्ष 2005 से लम्बित इस पुराने प्रकरण में अभियुक्ता के आचरण एवं व्यवहार के फलस्वरूप विलम्ब हो रहा है। पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अभियुक्ता को साक्ष्य सफाई पेश करने के लिए अवसर दिया गया था जिसके अनुसरण में पत्रावली दिनांक 10.02.2010 को निश्चित हुई थी। अभियुक्ता ने स्वयं अपना साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया है। इसके बाद किन किन कारणों से अभियुक्ता से जिरह नहीं हो सकी, इसका कारण न्यायालय में अभियुक्ता का उपस्थित नहीं रहना रहा है। ऐसी स्थिति में विद्वान् अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई भी त्रुटि एवं अवैधता दर्शित नहीं होती है किन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्ता का शपथ पत्र न्यायालय में पेश हो चुका है और न्यायहित में इससे जिरह होना आवश्यक है। अत: 1000/-रूपये का खर्चा आरोपित करते हुए अभियुक्ता-प्रार्थिया को एक अवसर प्रदान किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय में जिरह हेतु आवश्यक रूप से निश्चित आगामी तारीख दिनांक 07.2.2011 को उपस्थित हो और इसी दिन इससे जिरह

पूर्ण की जाए। अभियुक्ता-प्रार्थिया स्वयं को न्यायालय में जिरह हेतु उपस्थित होने से पूर्व 1000/-रूपये आरोपित खर्चा राशि जमा करायेगी तथा उसके बाद इसके बयानों पर जिरह हो उसके बयान को विचार में लिये जायेंगे।

अत: उक्तानुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत यह दाण्डिक विविध याचिका निस्तारित करते हुए उक्त स्थिति में संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या-2284/2010 भी चलने योग्य नहीं रहने के कारण निरस्त किया जाता है।

(न्या0 एस एस कोठारी)

" all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed."

अनिलशर्मा/ps-